# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2022/372**
मिसल नम्बर– 78 / 2022

सत्यनारायण गोस्वामी आत्मज श्री रामप्रताप गोस्वामी आयु 65 साल निवासी गली नं. 6 महात्मा गांधी कॉलोनी माला फाटक कोटा जं0 कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कोमल गोस्वामी पत्र सत्यनारायण गोस्वामी आयु 35 साल निवासी गली नं. 6 महात्मा गांधी कॉलोनी माला फाटक कोटा जं0 कोटा
2.पिंकी पत्नी कोमल गोस्वामी आयु 32 साल निवासी गली नं. 6 महात्मा गांधी कॉलोनी माला फाटक कोटा जं0 कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थितिः–

1.श्री विद्याशंकर गोस्वामी प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री मो0 शांकिर खान अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गली नं0 6 महात्मा गांधी कॉलानी माला फाटक कोटा जं0 जिला कोटा का निवासी है, शांतिप्रिय व्यक्ति है, सिनियर सिटीजन है। प्रार्थी उक्त मकान गली नं0 6 महात्मा गांधी कोलोनी माला फाटक कोटा जं० जिला कोटा का मालिक है, उसका स्वअर्जित आय का है। प्रार्थी का बडा पुत्र नवल व उसकी पत्नी संगीता जो कि प्रार्थी के उक्त मकान में ही निवास करते है, ओर प्रार्थी व उसकी पत्नी की सेवा सुश्रुषा करते है तथा प्रार्थी का छोटा पुत्र कोमल गोस्वामी व उसकी पत्नी पिंकी प्रतिपक्षीगण जो भी प्रार्थी के उक्त मकान में ही निवास करते है, लेकिन प्रतिपक्षीगण अपने पुत्र व पुत्रवधु के कर्तव्यो की बिलकुल पालना नही करते है, हमेशा प्रार्थी व उसकी पत्नी व बडे पुत्र व पुत्रवधु से लडाई झगडा करते रहते है,गाली गलोच करते है, ओर प्रार्थी व उसकी पत्नी व बडे पुत्र व पुत्रवधु को झूठे मुकदमे बाजी मे उलझाने की धमकीया देते है, तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी को कोई खर्चा नही देते है,ना ही भरण पोषण ही करते है उल्टे गाली गलोच व लड़ाई झगडा कर मानसिंक वेदनाऐ पहुंचाते है, अपनी मनमानी करते है, यहां तक कि प्रार्थी व उसकी पत्नी व बड़े पुत्र व उसकी पत्नी को मकान से बेदखल करने हेतु धमकाते है, दोनो पति पत्नी अपने कर्तव्यो का बिलकुल पालन नही करते है, अपनी मनमानी कर प्रार्थी व उसकी पत्नी को प्रताडित कर मानसिंक वेदना पहुंचाते है। तथा मकान का पानी बिजली का चार्जज भी नही देते है, कहने पर गाली गलोच कर मारपीट पर आमादा हो जाते है, धमकीया देते है कि तुम्हे जो करना हो कर लो। प्रार्थी व उसकी पत्नी चन्द्रकान्ता बुजुर्ग है, उनसे कोई काम धन्धा नही होता है, इसलिए प्रतिपक्षीगण से प्रार्थी को अपना व अपनी पत्नी का गुजर बसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करने हेतु 4000/–रू. प्रतिमाह गुजर बसर हेतु निर्वाह भत्ता दिलाया जावे जिसको अदा करने में प्रतिपक्षीगण पूरी तरह से सक्षम है, प्रतिपक्षी क्रम 1 ओटो चलाता है, प्रतिदिन 1000 रू0 कमाता है, यानि प्रतिमाह 30,000 रू०. आय अर्जित करता है, प्रार्थी को उक्त निर्वाह भत्ता की सख्त आवश्यकता है. यदि वह अदा नही करता है तो प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि प्रतिपक्षीगण द्वारा अनावश्यक रूप से प्रार्थी व उसकी पत्नी को दी जा रही मानसिक वेदना से बचा जा सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके व उसकी पत्नी के लिए प्रतिपक्षीगण से 4000 रू0 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिलाया जाये या फिर प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के मकान वाकै गली नं 6 महात्मागांधी कोलोनी माला फाटक कोटा जं० जिला कोटा से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा अप्रार्थीगण को उनके उक्त कृत्य के लिए दंडित कराया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नही है कि गली नं0 6 में स्थित मकान प्रार्थी के स्वअर्जित आय का हो। बल्कि प्रार्थी का व अप्रार्थीगण का संयुक्त स्वामित्व का उक्त मकान वाके गली न0 6, महात्मा गांधी कॉलोनी, कोटा जं० कोटा (राज0) पैतृक (पुश्तैनी) सम्पत्ति का मकान हैं। प्रार्थी के बड़े पुत्र नवल व उसकी पत्नि संगीता का उक्त मकान में निवास करने का कथन स्वीकार हैं। किन्तु यह स्वीकार नहीं है कि उक्त दोनों प्रार्थी की सेवा व भरणपोषण करते हो। और प्रतिपक्षीगण अपने कृ तव्यों की पालना न करते हो। या किसी प्रकार की गाली गलोज करते हो। जबकि सत्यता इस प्रकार है कि प्रार्थी स्वयं रोजाना शराब पीकर घर आते है । तथा घर में गाली गलोज कर रोज हंगामा करते है । जिन्हे प्रार्थी के बड़े पुत्र नवल व पुत्रवधु संगीता भडकाते रहते है। तथा सभी मिलकर अप्रार्थीगण को उक्त पैतृक मकान में से निकाल देने की धमकीयां देते हैं। तथा येन केन प्रकारेण अप्रार्थीगण को उक्त मकान से निकाले हैतु नये नये षडयंत्र करते रहते है। और इसी क्रम में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी स्वयं प्रिन्टीग प्रेस का कार्य करते है तथा 10,000/–रुपये प्रतिमाह कमा लेते है। तथा प्रार्थी द्वारा लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिये जाते है। जिससे भी प्रार्थी को अतिरिक्त 10,000/–रुपये आय होती है। प्रार्थी को सरकार से पेशन मिलती हैं प्रार्थी का दूसरा पुत्र अप्रार्थी न0 1 अप्रार्थी नं0 2 का पति है, भी आये दिन शराब पीकर प्रार्थीया के साथ मारपीट करता रहता हैं, तथा साथ में भी नही रहता। अप्रार्थीया नं0 2 ने अप्रार्थी नं0 1 के विरुद्ध कई बार मारपीट करने की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन एवं श्रीमान एस० पी० साहब कोटा को प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रार्थी उनके बड़े पुत्र व पुत्रवधु तथा आप्रार्थी नं0 1 आपस में मिले हुये है। और अप्रार्थी नं0 2 को अपने दोनों बच्चों सहित उक्त पैतृक मकान से निकाल देना चाहते है। इसी कारण यह झूठा प्रार्थना पत्र भी केवल मात्र अप्रार्थी नं0 2 को हैरान व परेशान करने व मुकदमें बाजी में फंसाने के कारण प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थी को स्वअर्जित प्रेटिंग प्रेस से आय होने के पश्चात अपने दोनो पुत्रों से भरण पोषण प्राप्त करने का ही अधिकार प्राप्त हैं। अप्रार्थी न0 2 को प्रकरण में अनावश्यक रुप से पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रार्थी ने अपने बडे पुत्र नवल को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नॉनजोईन्डर ऑफ पार्टी के कारण चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य है। केवल अप्रार्थी न0 2 को प्रार्थी की पुत्रवधु होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं। अप्रार्थी न० 2 के विरुद्ध यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नं0 2 का विवाह अप्रार्थी नं0 1 कोमल गोस्वामी के साथ होने के पश्चात अप्रार्थी नं0 2 उक्त मकान जो कि पेतृक सम्पत्ति है, पर आकर रहने लगी। किन्तु प्रार्थी व उनकी पत्नि तथा बडे पुत्र व पुत्रवधु तथा अप्रार्थी नं0 1 ने कभी भी प्रार्थीया को उक्त मकान मैं चैन से नही रहने दिया। तथा सभी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ससुरालजन मिलकर अप्रार्थी नं0 2 के साथ आये दिन गाली गलोच कर मारपीट करते रहते है। जिसकी समय–समय पर अप्राथी नं0 2 सम्बन्धित पुलिस स्टेशन व श्रीमान एस०पी० साहब कोटा शहर को रिपोर्ट देती रही है। तथा अप्रार्थी नं0 1 अपने माता –पिता व बड़े भाई भाभी के कहने में आकर अप्रार्थी नं0 2 की समस्त रकम चुराकर ले जाता है। तथा शराब व अन्य व्यसनों में खर्च कर देता है। अप्रार्थी नं0 2 अप्राथी नं० 1 के नुत्फे से दो संतानों का पिता बन जाने के पश्चात भी अप्रार्थी नं0 2 व उसकी संतानों का भरण पोषण नही करता हैं। अप्रार्थी न0 2 का किसी भी प्रकार का कोई भी आय का साधन नही है । अप्रार्थी नं0 2 अपने बच्चों के लालन–पालन हैतु स्वयं के माता–पिता व पडोसीयों के आगे हाथ फैलाती रहती हैं। सभी ससुरालजन मिलकर अप्रार्थी नं0 2 को उक्त मकान से षडयंत्रपूर्वक भगा देना चाहते है। और अप्राथी न0 2 को अकारण ही हैरान व परेशान करने के लिये ही यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने पत्नि बडे पुत्र व पुत्रवधु तथा अप्रार्थी नं0 1 के साथ षडयंत्र रचकर अप्रार्थी नं० 2 को उक्त मकान पैतृक मकान से निकाल देने तथा परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि अप्रार्थी नं० 2 के विरुद्ध चलने योग्य नही है। अप्रार्थी नं0 2 स्वयं अपना व अपनी संतानों का भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस हेतु अप्रार्थी न0 2 अपने व संतानो के भरण पोषण हेतु पृथक से धारा 125 जा0फो0 में सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत कर रही है। इस कारण यह प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी नं0 2 के विरुद्ध चलने योग्य न होने से खारिज होने योग्य हैं। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब पेश नही किया है अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। बाद अवलोकन यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आय के पर्याप्त स्रोत है जिससे वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान गली नं0 6 महात्मा गांधी कोलोनी माला फाटक कोटा जं० जिला कोटा प्रार्थी का स्वअर्जित मकान है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व हेतु उक्त मकान के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे वर्णित मकान प्रार्थी का स्वअर्जित सिद्ध हो सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान गली नं0 6 महात्मा गांधी कोलोनी माला फाटक कोटा जं० जिला कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
को.